विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-02/2025

श्री मोहम्मद खान, पिता भाई खान
तडवी निवासी मचलपुरा, ग्राम चुलखान, तहसील नेपानगर, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)
पिन कोड– 450331 (म.प्र.)
मो. 7974617003 – आवेदक

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) /कनिष्ठ यंत्री (निम्बोला)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)
पिन कोड –450331 (म.प्र.) – अनावेदक

आदेश
(दिनाँक : 28 जुलाई, 2025)

आवेदक की ओर से श्री अनीस अहमद अंसारी अधिवक्ता उपस्थित हुए।
अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार सेंगर सहायक यंत्री एवं श्री विशाल दलाल, सहायक ग्रेड –3 उपस्थित हुए।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0580424 में पारित आदेश दिनाँक 03.02.2025 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावदेन में आवेदक के स्थाई रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन पर अंकेक्षण दल द्वारा निरूपित की गई राशि की मांग को निरस्त करने बाबत् निवेदन किया गया।

02. उक्त प्रकरण में विषयवस्तु एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पर **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021 की कण्डिका 3.37 एवं 3.38** का पालन पाए जाने पर दिनाँक 29.04.2025 को प्रकरण दर्ज

कर प्रकरण से संबंधित मूल नस्ती फोरम से मंगाई गई एवं **दिनाँक 15.05.2025** को प्रारंभिक सुनवाई हेतु उभयपक्षों को सूचना पत्र जारी किया गया।

03. आवेदक द्वारा अभ्यावेदन में निम्न विषय–वस्तु प्रस्तुत किये गये :–

आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 10 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन क्र. 12–26–3412014392 आटा चक्की हेतु अनावेदक से लिया गया। उक्त कनेक्शन पर स्थापित मीटर अनावेदक द्वारा विगत 01 वर्ष पूर्व निकाला जाकर दूसरा मीटर स्थापित किया गया जो आवेदक अनुसार काफी तेज गति से चल रहा था।

इस संबंध में आवेदक की शिकायत पर अनावेदक द्वारा मीटर उपलब्ध होने पर बदलने का आश्वासन दिया गया। इसके पश्चात् भी मीटर नहीं बदले जाने पर आवेदक द्वारा दो–तीन बार अनावेदक को मीटर बदलने एवं प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु लिखित निवेदन किया गया। इसके पश्चात् भी उक्त मीटर को बदले नहीं जाने पर एवं विद्युत देयक आवेदक की क्षमता से अधिक होने के कारण अनावेदक से उक्त कनेक्शन को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने का निवेदन किया जिसके आधार पर उक्त कनेक्शन को पूर्ण रूप से विच्छेदित किये जाने की अभिस्वीकृति पर **" उपभोक्ता की रू. 12,613/– की ऑडिट राशि भी वर्ष 2022–23 में निकाली गई है उसे भी उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना शेष है"** की टिप अंकित की गई तथा आवेदक की ओर माह अक्टूबर 2024 का अंतिम बिल मे सीसीबी एडजेस्टमेंट रू. 6029/– जोड़कर कुल रू. 9159/– वर्तमान देयक एवं पूर्व बकाया राशि रू. 6048/– जोड़कर कुल रू. 15,207/– का बिल आवेदक की ओर भेजा गया।

आवेदक ने इस संबंध में दिनाँक 04.11.2024 को अनावेदक के समक्ष विस्तारपूर्वक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए तथा कथित ऑडिट राशि एवं बकाया राशि के संबंध में दस्तावेज/जानकारी की मांग की गई। अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी/दस्तावेज सहित प्रदान नहीं किये जाने पर वर्तमान प्रकरण बकाया बिल राशि रू. 15,397/– एवं रू. 12,613/– को निरस्त किये जाने हेतु फोरम से निवेदन किया गया।

अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि माह अप्रैल, 2023 के पूर्व उक्त कनेक्शन का मीटर खराब होने से माह मई, 2023 मे दूसरा मीटर स्थापित किया गया था। पूर्व मीटर मे 280 युनिट से 300 युनिट तक राशि का भुगतान किया जा रहा था किन्तु मीटर लगने के पश्चात् उपभोक्ता को प्रतिमाह रीडिंग खपत अनुसार बिल जारी किये जा रहे है।

उपनिदेशक ऑडिट इन्दौर के द्वारा अंकेक्षण वर्ष 2022–2023 अर्दवार्षिकी के पैरा नम्बर 1 अनुसार अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 तक जारी बिलों की औसत विद्युत खपत मई, 2023 में लगाये गये मीटर में दर्ज हो रही विद्युत खपत से कम की जाने के कारण उपभोक्ता पर ऑडिट टीम

द्वारा रू. 12,613/– की ऑडिट रिकवरी निकाली गई। आवेदक द्वारा स्थाई विच्छेदन का आवेदन पत्र पर अनावेदक द्वारा उक्त ऑडिट रिकवरी के संबंध में नोट डाला गया तथा उपभोक्ता को सितम्बर, 2024 की स्थिति में बकाया सहित बिल राशि रू. 7235/– थी एवं सुरक्षा निधि रू. 6924/– थी उक्त कनेक्शन अक्टूबर, 2024 में विच्छेदित होने से रू. 6048/– एवं रू. 9159/– ऑडिट रू. 12613/– एवं रू. 340/– में से रू. 6924/– सुरक्षा निधि के कम किये जाकर रू. 12,207/– सही होकर भुगतान योग्य होना बताया गया।

उपरोक्त आधारों पर इन्दौर फोरम द्वारा आवेदक के प्रकरण को निरस्त किया जाकर रू. 15,207/– भुगतान योग्य होना बताते हुए दिनाँक 03.02.2025 आदेश पारित किया गया, जिसकी प्रति आवेदक को दिनाँक 12.03.2025 को प्राप्त हुई। उक्त आदेश से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर वर्तमान अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की है।

04. फोरम के आदेश से आवेदक के असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के निम्न आधार हैंः–

i. *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यात्मक एवं विधिक बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया ।*

ii. *वर्तमान प्रकरण में इन्दौर फोरम द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह विधि अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।*

iii. *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को सुक्ष्मतापूर्वक अध्ययन नहीं कर जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।*

iv. *इन्दौर फोरम ने प्रतिअपीलार्थी के द्वारा बिना दस्तावेजी प्रमाण के मात्र जो कथन उसके जवाब में उल्लेखित किये गये थे उनपर विश्वास करते हुए, जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।*

v. *प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के द्वारा बार–बार मौखिक एवं लिखित रूप में आवेदन पत्र दिये जाने के उपरांत उक्त मीटर को बदलने हेतु निवेदन किया गया था किन्तु विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में दर्शित प्रावधान के अनुसार नियत समय अवधि में उक्त मीटर को न तो अपीलार्थी के परिसर से निकाला गया है और न ही किसी सक्ष्म अधिकारी से उक्त मीटर की जांच कराई गई है। इस तथ्य पर भी ध्यान न दिया जाकर इन्दौर फोरम द्वारा पारित किया गया उक्त आलोच्य आदेश स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।*

vi. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा तथा कथित ऑडिट राशि रू. 12,613/– के संबंध में जो टिप अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनाँक 26.09.2024 की अभिस्वीकृति पर उल्लेखित किया गया है इस तथ्य का भी इन्दौर फोरम ने विधि अनुरूप विश्लेषण नहीं किया है।*

vii. *कथित ऑडिट राशि रू. 12,613/– के भुगतान किये जाने संबंधि आदेश पारित करने के पूर्व इन्दौर फोरम की विधिक जवाबदारी एवं दायित्व था कि वह सर्वप्रथम अपीलार्थी के कनेक्शन पर स्थापित पूर्व मीटर तथा उसके स्थान पर स्थापित किये गये दूसरे मीटर को सक्षम अधिकारी से जांच कराये जाने संबंधि प्रतिअपीलार्थी को निर्देश दे और उक्त दोनों मीटर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही उक्त राशि के भुगतान किये जाने संबंधि आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस तथ्य को नहीं समझकर इन्दौर फोरम द्वारा गंभीर भूल की गई है।*

viii. *विद्युत अधिनियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत होने से तथा कथित ऑडिट राशि रू. 12,613 /– वसूली योग्य नहीं है इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम द्वारा नहीं समझकर गंभीर भूल की गई है।*

05. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :–

"अपीलार्थी की वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर इन्दौर फोरम द्वारा पारित आदेश दिनाँक 03.02.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र में जो सहायताएं प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध चाही गई है वह समस्त सहायताएं अपीलार्थी को प्रदान कराई जाकर वर्तमान अपील खर्च रू. 5000/– दिलाये जाने संबंधि भी आदेश पारित करने की कृपा की जावें।"

06. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक W0580424 में निम्नानुसार आदेश दिया गया :–

फोरम का निर्णयः–

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता हैः–

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार परिवादी के आवेदन पर विपक्ष द्वारा माह अक्टूबर –2024 में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया। माह सितम्बर–2024 की स्थिति में कुल देय राशि रू. 7,146/– थी जिसमें से माह सितम्बर–2024 के बिल में अधिरोपित ASD Adjustment के तहत जोड़ी गई राशि रू. 1098/– का समायोजन करने पर माह

अक्टूबर–2024 के देयक में कुल बकाया राशि रू. 6048 /– थी। माह अक्टूबर–2024 के देयक में ऑडिट टीम द्वारा निकाली गई रिकवरी राशि रू. 13613/– एवं RCDC राशि रू. 340/– जोड़ी गई एवं ESD राशि रू. 6924/– का समायोजन किया गया। इस प्रकार कुल राशि रू. (12,613/– +340/– – 6,924/–) = 6029/– का CCB Adjustment के तहत समायोजन किया गया। माह अक्टूबर– 2024 के वर्तमान देयक राशि रू. 9159/– में माह सितम्बर की बकाया राशि रू. 6048 /– का योग करने पर परिवादी पर कुल बकाया राशि रू. 15,207/– है, जिसे फोरम उचित मानता है जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जावें।

उक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

07. सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

- **दिनाँक 15.05.2025 की सुनवाई** में आवेदक एवं अनावेदक अनुपस्थित रहे।

  दिनांक 15.05.2025 को सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा स्वास्थ संबंधित कारणों से अनुपस्थिति के संबंध में सूचित किया गया ।

  अनावेदक की ओर से अनुपस्थिति के संबंध में कार्यपालन यंत्री (सं/सं) म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0लि सं/सं बुरहानपुर द्वारा भी पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.05.2025 के परिपालन में अप्रत्याशित परिस्थितियों एवं मौसम विभाग द्वारा आगामी 04 दिवस में तेज आंधी/तूफान के साथ बारिश होने की संभावना के दृष्टिगत मुख्यालय/कार्यस्थल में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उक्त कारणों से इस प्रकरण की सुनवाई को आगे बढ़ाकर आगामी माह में नियत करने का निवेदन किया गया। उभय पक्षों के द्वारा उक्त निवेदन पर सुनवाई की **अगली तिथि 10.06.2025** नियत की गई।

- **दिनाँक 10.06.2025 की सुनवाई** में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री विशाल दलाल, सहायक ग्रेड –3, बुरहानपुर (म0प्र0) उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने सूचित किया कि उक्त प्रत्युत्तर की एक प्रति आवेदक के अधिवक्ता को पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा यह भी सूचित किया गया कि प्रकरण में संबंधित अधिकारी श्री दिनेश सिंह राजपूत, सहायक यंत्री, बुरहानपुर के अचानक स्वास्थ संबंधी परेशानी के कारण उनकी उपस्थिति संभव नहीं है। इस कथन के साथ उन्होंने प्रकरण में अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में नियत करने हेतु निवेदन किया।

आवेदक के अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी द्वारा ई–मेल पर भेजे गए पत्र दिनांक 09.06.2025 में उन्होंने उपरोक्त स्थिति का हवाला देते हुए प्रकरण में अपनी अनुपस्थिति हेतु क्षमा मांगते हुए प्रकरण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में अगली तिथि 25 जून, 2025 के पश्चात् नियत किये जाने का निवेदन किया। अनावेदक का निवेदन एवं आवदेक के प्रतिवेदन पर विचार कर उक्त प्रकरण में **अगली सुनवाई 04.07.2025** नियत की गई।

- **दिनाँक 04.07.2025 की सुनवाई** में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित हुए। अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार सेंगर, सहायक यंत्री एवं श्री विशाल दलाल, सहायक ग्रड–3, बुरहानपुर (म0प्र0) उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा यह पुष्टि की गई कि इस प्रकरण में विवादित राशि का 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा की जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि इस प्रकरण में विवाद केवल अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई रिकवरी माह अक्टूबर, 2022 से मार्च 2023 तक की राशि रू. 12,613/–का है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अनावेदक से निम्न जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गयाः–

i. प्रकरण में विवादित समयावधि अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 तक की अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित औसत विद्युत खपत के आधर पर निकाली गई ऑडिट राशि से पूर्व अनावेदक द्वारा विवादित अवधि के प्रत्येक माह में आंकलित युनिटों का आधार को स्पष्ट करें।

ii. आवेदक द्वारा मीटर की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पर की गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए एल.टी.एम.टी, बड़वाह द्वारा मीटर परीक्षण रिपोर्ट की सुस्पष्ट प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

iii. उपरोक्त मीटर जांच रिपोर्ट (दिनांक 16.01.2025) में मीटर बदलते समय की रीडिंग 11063.4 एवं मीटर की जांच के पूर्व की रीडिंग 11592.796 युनिट के बीच के अंतर को स्पष्ट करें।

अनावेदक को उक्त जानकारी दिनांक 18.07.2025 तक उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण की **अगली सुनवाई 23.07.2025** नियत की गई।

- **दिनाँक 23.07.2025 की सुनवाई** में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया कि उनके पिता का स्वास्थ ठीक न होने के कारण वह सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है। आवेदक ने यह भी कथन किया कि प्रकरण से संबंधित लिखित बहस उनके द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, जिसके आधार पर इस प्रकरण का निराकरण किया जावे।

  अनावेदक को ओर से कार्यपालन यंत्री (सं/सं) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. सं/सं बुरहानपुर (निम्बोला) द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि अपरिहार्य कारणों से वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे है। उनके द्वारा यह भी लिखित कथन किया गया कि दिनाँक 04.07.2025 की सुनवाई में चाही गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज वह पहले ही प्रेषित कर चुके है। अनावेदक द्वारा प्रकरण में पूर्व में दिये गये जवाब को स्वीकार कर अंतिम मानते हुए उचित निर्णय हेतु निवेदन किया गया।

  उपरोक्तानुसार इस प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

08. सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा निम्नानुसार लिखित कथन प्रस्तुत किए गए :–

i. *आवेदक के परिसर में सर्विस क्रमांक एन 3412014392 श्री मोहम्मद खान पिता भाई खान तडवी के नाम से 10 हार्सपावर का औद्योगिक (आटा चक्की) कनेक्शन था जो कि वर्तमान में स्थायी विच्छेद है।*

ii. *कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा विभाग का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदक का मीटर माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 तक बंद होने के कारण औसत देयक जारी किये गये थे। उपरोक्त अवधि में मीटर बंद होने के कारण आवेदक को औसत देयक जारी किये गये थे।*

iii. *आवेदक के यहां दिनाँक 07.04.2023 को नया मीटर स्थापित होने के उपरांत आवेदक के यहां मीटर खपत अधिक होने के कारण माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 में जारी किये गये कम औसत विद्युत देयकों का पुनः निर्धारण कर 2369 अंतर युनिट की राशि रू. 12,613/– आरोपित की गयी।*

iv. *आवेदक द्वारा दिनाँक 23.07.2024 को परिसर में स्थापित नये मीटर को तेज (फास्ट) चलने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने पर मीटर का परीक्षण दिनाँक 16.01.2025 को किये जाने पर मीटर सही पाया गया।*

v. *आवेदक का मीटर परीक्षण में सही पाये जाने के कारण आवेदक के माह अक्टूबर, 2024 के विद्युत देयक में जोड़ी गयी अंतर युनिट की आरोपित राशि रू. 12,613/– सही होकर वसूली योग्य है।*

vi. ***फोरम द्वारा दिनाँक 03.02.2025 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर कुल बकाया राशि रू. 15,207/– को सही पाया गया है जिसमें आवेदक द्वारा राशि रू. 7,600/– का भुगतान दिनाँक 07.04.2025 को किया गया है।***

प्रतिअपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रतिउत्तरः–

(क) *कण्डिका क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05, 06, एवं 07 के संबंध में लेख है कि आवेदक का वि.उ.शि.नि.फो. इन्दौर को इस आशय से आरोपित करना गलत है कि प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं को गम्भीरतापूर्वक अवलोकन नहीं करके गम्भीर भूल की है, अपितु फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर दिनाँक 03.02.2025 को आदेश पारित किया गया है।*

(ख) *कण्डिका क्रमांक 08 के संबंध में लेख है कि <u>आवेदक को विद्युत अधिनियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही आवेदक का मीटर माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 से बंद होने के कारण औसत देयक जारी किये गये थे, किन्तु आवेदक के यहां दिनाँक 07.04.2023 को नया मीटर स्थापित होने के उपरांत आवेदक के यहां मीटर खपत अधिक होने के कारण माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 में जारी किये गये कम खपत के औसत विद्युत देयकों का नये मीटर में माह जून, 2023 जुलाई, 2023 एवं अगस्त, 2023 में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर औसत पुनः निर्धारण कर 2369 अंतर युनिट की राशि रू. 12,613/– आरोपित की गयी है।</u>*

(ग) *कण्डिका क्रमांक 09 में उल्लेखित विषय वस्तु लोकपाल महोदय का क्षेत्राधिकार होने से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।*

(घ) *अतः आवेदक को विद्युत अधिनियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवेदक का मीटर माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 से बंद होने के कारण औसत देयक जारी किये गये थे किन्तु ओवदक के यहां दिनाँक 07.04.2023 को नया मीटर स्थापित होने के उपरांत आवेदक के यहां मीटर खपत अधिक होने के कारण माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 में जारी किये गये कम औसत विद्युत देयकों का नये मीटर में माह जून, 2023, जुलाई,2023 एवं अगस्त, 2023 में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर औसत पुनः निर्धारण कर 2369 अंतर युनिट की राशि रू. 12,613/– आरोपित की गयी है जो कि वसूली योग्य है।*

अतः लोकपाल महोदय से सविनय अनुरोध है कि अपीलार्थी का आवेदन सव्यय निरस्त कर आवेदक की ओर बकाया राशि जमा करने निर्देशित करने का कष्ट करें।

09. इस प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध एवं सुनवाई के दौरान प्राप्त मुख्य दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है :–

i. आवेदक का विद्युत देयक दिनाँक 13.04.2025.

ii. दिनाँक 23.07.2024 को आवेदक द्वारा अनावेदक को विद्युत मीटर बदलने हेतु लिखे गये पत्र की प्रति।

iii. दिनाँक 04.05.2024 की आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी द्वारा वर्ष 2022–2023 (द्वितीय अर्द्धवर्षिकी) की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति।

iv. आवेदक का पत्र दिनाँक 04.11.2024, जिसमे अनावेदक से ऑडिट राशि को निरस्त किये जाने एवं विद्युत मीटर की जांच कराने हेतु निवेदन किया गया।

v. आवेदक का शपथ पत्र दिनाँक 25.09.2024, जिसमें उसके विद्युत संयोजन पर बकाया राशि रू. 7146/– का सुरक्षा निधि में समायोजन करने एवं विद्युत कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु निवेदन किया गया।

vi. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एल.टी.एम.टी. की मीटर परीक्षण रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।

vii. अनावदेक के एन.जी.बी. सिस्टम द्वारा मीटर रीडिंग एवं अन्य विविरण की छायाप्रति।

10. सुनवाई के दौरान चाही गई अतिरिक्त जानकारी अनावेदक द्वारा दिनाँक 19.07.2025 को निम्नानुसार प्रस्तुत की गईः–

- **दिनाँक 04.07.2025 की सुनवाई में अनावेदक से चाही गई जानकारी :–**

1) प्रकरण में विवादित समयावधि अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 तक की अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई रिकवरी की राशि से पूर्व अनावेदक द्वारा प्रत्येक माह में आंकलित युनिटों का आधार को स्पष्ट करें।

2) आवेदक द्वारा मीटर की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पर की गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए एल.टी.एम.टी, बड़वाह द्वारा मीटर परीक्षण रिपोर्ट की सुस्पष्ट एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

3) उपरोक्त मीटर जांच रिपोर्ट (दिनांक 16.01.2025) में मीटर बदलते समय की रीडिंग 11063.4 एवं मीटर की जांच के पूर्व की रीडिंग 11592.796 युनिट के बीच के अंतर को स्पष्ट करें।

- **अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार जानकारी :–**

1) *अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई रिकवरी की राशि के पूर्व माह फरवरी, 2022 तक रीडिंग एवं स्पॉट बिलिंग का कार्य फेडको कम्पनी द्वारा किया जा रहा था। माह अगस्त, 2020 में आवेदक का मीटर बंद/खराब होने के कारण फेडको कंपनी के बिलिंग सिस्टम द्वारा ही औसत युनिट का स्पॉट बिल दिया गया है।*

2) *आवेदक द्वारा मीटर की जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई।*

3) *आवेदक के यहां से मीटर 7610488 मेक एच.पी.एल के निकालते समय रीडिंग 11063.4 थी। किन्तु त्रुटिवश मीटर निकालने के पश्चात् उपभोक्ता सर्विस क्रं. 3412020388 सागर नीलकंठ सोनवणे के परिसर में दिनाँक 29.10.2024 को प्रारंभिक रीडिंग 11064 पर स्थापित किया गया। उपरोक्त जानकारी संज्ञान में आने के पश्चात् दिनाँक 09.01.2025 को उपरोक्त मीटर सागर नीलकंठ सोनवणे के यहां से अंतिम रीडिंग 11593 पर निकालकर मीटर टेस्टिंग हेतु भेजा गया।*

4) *दोनों उपभोक्ताओं की एन.जी.बी सिस्टम की प्रति पत्र के साथ प्रस्तुत की गई।*

11. दिनाँक 21.07.2025 को आवेदक द्वारा निम्ननिलिखित अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किया गया :–

अपीलार्थी द्वारा वर्तमान प्रकरण विद्युत कनेक्शन क्रं. 12–26–3412014392 पर मांग की जा रही ऑडिट राशि रू. 12,613/– को निरस्त कराये जाने संबंधि प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी

लोकपाल महोदय के समक्ष निम्नलिखित आधार प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर प्रति अपीलार्थी के द्वारा उल्लेखित कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैः—

1. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा लोकपाल महोदय के समक्ष जो दिनांक 10.06.2005 का जवाब प्रस्तुत किया गया है उक्त जवाब के पेज नं. 2 की कण्डिका क्रं. 2 में प्रतिअपीलार्थी ने सह स्वीकार किया है कि आवेदक को विद्युत अधिनियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आवेदक का मीटर माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 तक बंद होने के कारण औसत देयक जारी किये गये है, प्रतिअपीलार्थी की उपरोक्त स्वीकारोक्ती के आधार पर पुनः प्रतिअपीलार्थी अपीलार्थी से तथा कथित ऑडिट राशि रू. 12,613/— की मांग नहीं कर सकता है।*

2. *अपीलार्थी लोकपाल महोदय का ध्यान विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान 8.44 की मंशा की ओर आर्कषित कराना चाहता है जिसमें स्पष्ट रूप से किसी उपभोक्ता के मीटर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या खराबी उत्पन्न होने पर पिछले 03 माह की विद्युत खपत की औसत युनिट के आधार पर विद्युत बिल जारी किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। उक्त प्रावधान के अनुरूप जब प्रतिअपीलार्थी ने माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 की अवधि में पिछले 03 माह की विद्युत खपत की औसत युनिट के आधार पर विद्युत बिल राशि प्राप्त कर ली गई है तब ऐसी स्थिति में तथा कथित ऑडिट राशि रू. 12,613/— की राशि प्रतिअपीलार्थी अपीलार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।*

3. *प्रतिअपीलार्थी ने दिनांक 10.06.2025 के जवाब की कण्डिका क्रं. 3 में दिनांक 07.04.2023 को नये मीटर स्थापित होने के उपरांत उक्त मीटर में दर्ज हुई विद्युत खपत के आधार पर माह अक्टूबर, 2022 से माह मार्च, 2023 तक की आवधि में कम औसत विद्युत देयक को पुनः निर्धारण कर 2369 अंतर युनिट की राशि रू. 12,613/— की मांग किये जाने का जो उल्लेख किया गया है वह विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा के विपरीत होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रावधान के अनुसार पिछले 03 माह की औसत विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल राशि प्राप्त करने का प्रावधान है न कि आगामी 03 माह की विद्युत खपत के आधार पर।*

4. *अपीलार्थी लोकपाल महोदय के समक्ष यह स्थिति भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रं. 8.24 की मंशा के मुताबिक वादग्रस्त मीटर को निर्धारित समय अवधि में बदलना चाहिये था किन्तु प्रतिअपीलार्थी द्वारा उक्त प्रावधान का खुला उल्लंघन किया गया था।*

5. *विद्युत अधिनियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित प्रावधान सर्वोपरि है न कि ऑडिट अधिकारी इसलिए वर्तमान प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदारी से बचने के लिये बिना कोई स्पष्टीकरण के केवल अंकेक्षण दल का आधार बताकर जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह विधि अनुरूप न होकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।*

अतः लोकपाल महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर वर्तमान प्रकरण स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सहायताएं प्रदान किये जाने संबंधि आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

12. निष्कर्ष एवं निर्णय :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रदत्त जानकारी, उभयपक्षों द्वारा अभिलेखों पर प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों एवं सुनवाई में पाए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है:–

(i) अभिलेखों पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उपभोक्ता को अनावेदक द्वारा आटा चक्की हेतु 10 हार्सपावर का विद्युत संयोजन प्रदान किया गया था। आवेदक के उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में अधिक विद्युत खपत दर्ज होने की शंका पर आवेदक द्वारा अनावेदक से उक्त मीटर को बदलने हेतु लिखित निवेदन किया गया। अनावेदक द्वारा मीटर की अनुपलब्धता के कारण आवेदक के मीटर को बदला नहीं जा सका। आवेदक द्वारा मीटर को बदलकर उक्त मीटर का प्रयोगशाला में परीक्षण कराने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

(ii) अभ्यावेदन में आवेदक के कथन अनुसार उक्त मीटर को नहीं बदले जाने एवं उसके विद्युत देयक की राशि अधिक होने के कारण आवेदक द्वारा उसके विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने का निवेदन अनावेदक से किया गया।

(iii) आवेदक के उपरोक्त निवेदन पर अनावेदक द्वारा कार्यवाही कर आवेदक के विद्युत संयोजन को अक्टूबर, 2024 में स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया एवं आवेदक को विद्युत देयक दिनांकित 07.10.2024 जारी किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक को जारी किये गये उपरोक्त विद्युत देयक में देय अन्य राशियों के साथ–साथ अंकेक्षण दल द्वारा अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 की अवधि में आवेदक का मीटर बंद होने के कारण, ऑडिट रिकवरी की राशि रूपये 12,613/– भी विद्युत देयक में जोड़ दी गई। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक को राशि रू. 15,207/– का विद्युत देयक

भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। उक्त विद्युत देयक दिनांक 07.10.2024 में समय–सीमा के अंदर भुगतान नहीं किये जाने पर प्रभार सहित देय राशि रूपये 15,397/– दर्शाई गई है।

(iv) उपरोक्त विद्युत देयक से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त राशि रूपये 15,397/– एवं ऑडिट रिकवरी की राशि रू. 12,613/– को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

(v) फोरम द्वारा आवेदक के उपरोक्त आवेदन को प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0580424 पर दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.02.2025 को आवेदक का परिवाद अस्वीकार करते हुए आवेदक को उपरोक्त समस्त राशि के भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया।

(vi) फोरम के उक्त आदेश से क्षुब्ध होने के कारण आवेदक द्वारा विषयांतर्गत अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन दिनांक 29.4.2025 को दर्ज कर उभय पक्षों को पूर्ण रूप से सुना गया। सुनवाईयों का संक्षिप्त विवरण इस आदेश के पैरा 07 पर है।

(vii) आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के अनुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष इस प्रकरण में केवल अंकेक्षण दल द्वारा निरूपित की गई माह अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 की राशि रूपये 12,613/– पर ही विवाद है। उक्त अवधि के पश्चात् बंद/खराब मीटर के स्थान पर 07.04.2023 को सही मीटर लगाया गया जिसमे तीन माहों में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर ऑडिट रिकवरी निकाली गई है। उपभोक्ता/आवेदक के निवेदन पर उक्त मीटर की जांच एल.टी.एम.टी., (मीटर परीक्षण प्रयोगशाला) बड़वाह द्वारा कराई गई एवं मीटर परीक्षण रिपोर्ट (दिनांक 16.1.2025) अनुसार मीटर सही पाया गया।

(viii) इस प्रकरण में आडिट रिकवरी की राशि रूपये 12,613/– से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी द्वारा अनावेदक को दिनांक 4.9.2024 के पत्र में यह लेख है कि अंकेक्षण दल द्वारा उक्त राशि माह अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 की अवधि में आवेदक का मीटर खराब/बंद होने के कारण बदले गये नये मीटर में दर्ज तीन माह की औसत विद्युत खपत पर आधारित है। उक्त ऑडिट रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अनावेदक के अधिकारियों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण दल की उक्त हाफ मार्जिन (अर्ध पत्रक) पर सहमति दी गई है।

(ix) अभिलेख पर प्रस्तुत मेसर्स व्ही.के. डाफरिया एण्ड कंपनी द्वारा प्रस्तुत उक्त आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न तालिका से भी यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण दल द्वारा निरूपित राशि नये मीटर में दर्ज तीन माह की विद्युत खपत के औसत पर आधारित है। इसके पूर्व उक्त विवादित अवधि (अक्टूबर, 2022 से

मार्च, 2023) के प्रत्येक माह में अनावेदक द्वारा की गई आंकलित खपत राशि अनावेदक के एन.जी.बी. सिस्टम पर आधारित थी जिसको अनावेदक द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका।

(x) म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 यथा संशोधित की कंडिका 8.44 में प्रावधान अनुसार यदि उपभोक्ता का मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र वाचक चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर किया जाएगा। परन्तु उपरोक्त पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि मीटर दोषपूर्ण होने के कारण विवादित अवधि अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 में आंतरिक अंकेक्षण दल एवं अनावेदक दोनों के द्वारा किया गया विद्युत खपत के आंकलन का आधार म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 यथा संशोधित की कंण्डिका 8.44 में प्रावधान के अनुसार नहीं है।

(xi) अतः इस प्रकरण में आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा निरूपित की गई ऑडिट राशि उपरोक्त विधिक प्रावधानानुसार नहीं होने के कारण अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित अवधि अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 के दौरान आवेदक के मीटर को दोषपूर्ण होने के कारण विद्युत मात्रा का निर्धारण म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 यथा संशोधित की कंडिका 8.44 में प्रावधान अनुसार निधारित की जावे एवं उक्तानुसार आवेदक को पुनरीक्षित विद्युत देयक/मांग पत्र दिया जावे। आवेदक उक्त पुनरीक्षित विद्युत देयक/मांग पत्र में देय राशि का भुगतान विनिर्दिष्ठ समय–सीमा में सुनिश्चित करेगा।

13. फोरम का आदेश आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा निरूपित की गई राशि रू. 12,613/– को छोड़कर यथावत रहेगा।

14. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

15. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल